

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 137/2018

निहाली देवी पत्नी रोहताश उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी सोलंकी तन मेहाड़ा जाटवास तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान

..... वादिया

ब-ना-म

1. अमन सिंह पुत्र भूरसिंह
2. इन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह
3. ज्ञानसिंह पुत्र भूरसिंह
4. शेरसिंह पुत्र भूरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी सोलंकी तन मेहाड़ा जाटवास तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
5. महेन्द्र सिंह पुत्र बृद्धसिंह पुत्र भूरसिंह
6. प्रदीप सिंह पुत्र बुद्धसिंह पुत्र भूरसिंह
7. कुलदीप सिंह पुत्र बुद्धसिंह पुत्र भूरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी सोलंकी तन मेहाड़ा जाटवास तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
8. गीता कंवर पत्नी बजरंग सिंह पुत्री बृद्धसिंह पौत्री भूरसिंह
9. मीता कंवर पत्नी विक्रम सिंह पुत्री बृद्धसिंह पौत्री भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी चौरेहड़ी वार्ड नं. 5 पोस्ट धिनगडीया तह. सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान
10. ममता कंवर पत्नी मुकेश सिंह पुत्री बृद्धसिंह पौत्री भूरसिंह जाति राजपूत निवासी कोली पोस्ट मण्डी आदमपुर तह. व जिला हिसार हरियाणा
11. रुड़सिंह पुत्र बिरजू सिंह पौत्र भूरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी सोलंकी तन मेहाड़ा जाटवास तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
12. सरोज पत्नी हनुमान पुत्री बिरजू सिंह पौत्री भूरसिंह
13. सुमन पत्नी समुंद्र पुत्री बिरजू सिंह पौत्री भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी लायेल तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
14. शकुंतला पत्नी राजेश पुत्री बिरजुसिंह पौत्री भूरसिंह
15. अनचाही पत्नी नरेश पुत्री बिरजू सिंह पौत्री भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा भिटेरा पोस्ट नंगली सलेदीसिंह तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
16. बसंती कंवर पत्नी सिम्भु सिंह पुत्री भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी नारेड़ वार्ड नं. 9 तह. कोटपूतली जिला जयपुर



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी



17. पाना कंवर पत्नी मदन सिंह पुत्र भूरसिंह
जाति राजपूत निवासी हसनपुरा पो. रायकनपुरा तह. कोटपूतली जिला जयपुर राज.
18. नरबदी देवी पत्नी गणपत सिंह
19. चावा बाई पत्नी गोधू सिंह पुत्री गणपत सिंह
20. सारा बाई पत्नी मोती सिंह पुत्री गणपत सिंह
जाति राजपूत निवासी ढाणी गुमान सिंह तन निराणपुर तह. थानागाजी जिला अलवर राज.
21. नानी बाई पत्नी नान सिंह पुत्री गणपत सिंह
जाति राजपूत निवासी ढाणी गेगा बिशन सिंह तन सुहासड़ तह. लुहारू जिला भिवानी हरि.
22. प्रेम बाई पत्नी धन सिंह पुत्र गणपत सिंह
जाति राजपूत निवासी नूनिया तह. बुहाना जिला झुंझुनूं राज.
23. सिमाना बाई पत्नी हरि सिंह पुत्री गणपत सिंह
जाति राजपूत निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं रज.
24. पतासी बाई पत्नी धर्मपाल सिंह पुत्री गणपत सिंह
जाति राजपूत निवासी खेरानी पो. मोहरड़ा जिला मिहन्द्रगढ़ हरियाणा
25. मानसिंह पुत्र गणपतसिंह
26. लीलूसिंह पुत्र गणपत सिंह
27. हजारी सिंह पुत्र गणपत सिंह
28. झण्डू सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र गणपत सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी सोलंकी तन मेहाड़ा जाटूवास तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान
29. भूमि धारक जरिये तहसीलदार खेतड़ी
30. राजस्थान क्षेत्रीय बड़ौदा ग्रामीण बैंक बसई जरिए शाखा प्रबन्धक


.....प्रतिवादीगण

दावा- खाता विभाजन

—: निर्णय :-

दिनांक 16-11-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-12-2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 39 के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.22 हैक्टर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.40 हैक्टर में से वादिया के हिस्से की भूमि 0.11 हैक्टर का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भूअ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भूअ./2022/965 दिनांक 13.04.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-4” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग होंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-“ब” के अनुसार सीमांकन रवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-11-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी - जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

निहाली देवी

ब-ना-म

अमन सिंह आदि

गावा बाबत खाता विभाजन

कदमा नम्बर :- 137/2018

निर्णय दिनांक :- 16-11-2022

वादिया की ओर से श्री विजेन्द्र सैनी एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से की स्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-11-2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

"अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-"अ-1" व "अ-4" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13-04-2022 (प्रदर्श-"अ-1" लगा. अ-4" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी है।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी